IV 68/15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

NON JUDICIAL

CG 213658

उत्तर प्रदेश ... ESH

26/8/15 26/8/15

17 AUG 2015

दस्तावेज ट्रस्ट (डीड/न्यास पत्र)

हम कि राजेश चौरसिया पुत्र स्व0 गिरजा प्रसाद, ग्राम–मुहम्मदपुर कुसुम, पोस्ट–महड़ौर, जनपद–गाजीपुर व श्रीमती आरती चौरसिया पत्नी श्री राजेश चौरसिया, ग्राम–मुहम्मदपुर कुसुम, पोस्ट–महड़ौर, जनपद–गाजीपुर इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं जो दिनांक 26–08–2015 को आस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय, आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, आध्यात्मक एवं धर्म सुरक्षा,शैक्षिक जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गराबों के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगा का उत्थान करने में विशेष रूचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते है। हम **राजेश चौरसिया** संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/मुख्य ट्रस्टी व **श्रीमती आरती चौरसिया** महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए **डा0 राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा एवं समाज कल्याण ट्रस्ट** की स्थापना करते हैं। इस ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन, कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों उपबन्धो के अन्तर्गत की जायेगी। ट्रस्ट का नाम, पता निम्नवत है–

ट्रस्ट (न्यास) का नाम – **डा0 राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा एवं समाज कल्याण ट्रस्ट**

ट्रस्ट का पता – ग्राम– मुहम्मदपुर कुसुम
पोस्ट – महड़ौर
थाना – कासिमाबाद
परगना– जहूराबाद
तहसील– मुहम्मदाबाद
जनपद – गाजीपुर (उ0प्र0)

मुख्यालय– पंजीकृत कार्यालय ग्राम– मुहम्मदपुर कुसुम, पोस्ट–महड़ौर, जनपद–गाजीपुर (उ0प्र0) आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

राजेश चौरसिया आरती चौरसिया

क्र सं० 1824 बही संख्या 1007

स्टाम्प विक्रय की तिथि 25/8/15

स्टाम्प का मूल्य ... ३५८८

क्रेता का नाम व पता राजेश चौरसिया पुत्र स्व० गिरजा प्रसाद

आ० मुहम्मदपुर खुरचुन पो० मेहदौर

गाजीपुर गाजीपुर

रामविलास राय
25/8/15

रामविलास राय
स्टाम्प विक्रेता ... लाइसेंस नं० 27
कार्यालय ... गाजीपुर
... 2015 से 31 मार्च 2020

स्टाम्प पत्र 50000

1000 1200 2200 5000

श्री राजेश चौरसिया ... स्व. गिरजा प्रसाद
ग्रा० मुहम्मदपुर खुरचुन ...
ग्राम ... गाजीपुर ने यह स्टाम्प पत्र ... कार्यालय
उ०नि० मु०बाद में धारा 32 ए के अन्तर्गत कार्यालय
प्रस्तुत आज दि० 26/8/15 को समय ... बजे दिन
... प्रस्तुत किया।

[signature]
उप निबन्धक
26/8/15.

राजेश चौरसिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (2) AW 288203

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये हैं।

(1) श्री राजेश चौरसिया पुत्र स्व0 गिरजा प्रसाद ग्राम–मुहम्मदपुर कुसुम, पोस्ट–महड़ौर, जनपद–गाजीपुर (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)

(2) श्रीमती आरती चौरसिया पत्नी राजेश चौरसिया ग्राम–मुहम्मदपुर कुसुम, पोस्ट–महड़ौर, जनपद–गाजीपुर (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)

(3)श्रीराम चौरसिया पुत्र स्व0 रामसेवक चौरसिया ग्राम–सनेहुआ, पोस्ट–सलामतपुर, जनपद–गाजीपुर (सदस्य)

(4)ममता चौरसिया पत्नी रामाकान्त चौरसिया ग्राम–मुहम्मदपुर कुसुम, पोस्ट–महड़ौर, जनपद–गाजीपुर (सदस्य)

(5)रंजीत चौहान पुत्र श्री लालिता चौहान ग्राम–मुहम्मदपुर कुसुम, पोस्ट–महड़ौर, जनपद–गाजीपुर (सदस्य)

(6)शारदा चौरसिया पत्नी अनिरूद्ध चौरसिया ग्राम–मुहम्मदपुर कुसुम, पोस्ट–महड़ौर, जनपद–गाजीपुर(सदस्य)

(7)विमला चौरसिया पत्नी सियाकान्त चौरसिया ग्राम–मुहम्मदपुर कुसुम पोस्ट–महड़ौर, जनपद–गाजीपुर(सदस्य)

ट्रस्ट का नाम – डा0 राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा एवं समाज कल्याण ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता – ग्राम–मुहम्मदपुर कुसुम, पोस्ट–महड़ौर, जनपद–गाजीपुर

ट्रस्ट का मुख्यालय – ग्राम–मुहम्मदपुर कुसुम, पोस्ट–महड़ौर, जनपद–गाजीपुर

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य– ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एंव हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएं प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय,

राजेश चौरसिया

आरती चौरसिया

Scanned with CamScanner

1825   1824

25/8/15   59

रामविलास राय

रामविलास राय
25/8/15

वरिष्ठ कोषाधिकारी
29 JUL 2015
गाजीपुर

राजेश चौरसिया पुत्र [illegible] व श्रीमती आरती चौरसिया,
पत्नी राजेश चौरसिया, [illegible] आवेदक
कि.

महादेव राम   काशीनाथ राम
[illegible]पुर   [illegible]
संतोष कुमार मिश्रा   हरिशंकर मिश्रा
[illegible]   [illegible]

पंकज
[illegible]

राजेश चौरसिया   आरती चौरसिया

[illegible]   संतोषकुमारमिश्रा

पंकज
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रू.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (3) AW 288204

संस्कृत महाविद्यालय,नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्य शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था, कीड़ा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, कीड़ा संस्थानों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना,संस्थानों की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कूचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं संचालित करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय,छात्रावास,सांस्कृतिक केन्द्र, आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना,नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल,प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी, कलाकेन्द्र, उद्यान,साहित्य आदि संस्थाओ को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला,राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधन से समय–समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को कय–विकय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज(पट्टा) पर देना।बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, टेक्नीकल कालेज, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना करना। उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की

राजेश चौरसिया

आरती चौरसिया

Scanned with CamScanner

1826 1824

25/8/15 57

वरिष्ठ कोषाधिकारी

29 JUL 2015

गाजीपुर

25/8/15

रामविलास राय

गाजीपुर

2015

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (4) AW 288205

स्थापना करना एवं संचालन करना। देश व विदेश से चन्दा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यो का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा–आश्रम, अनाथालय,वृद्व आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, तकनीकी , प्राविधिक, चिकित्सकीय, संस्थानो आदि को ट्रस्ट(न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालन करना।रासलीला, रामलीला, मेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रायोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना।इनके स्थापना एवं प्रायोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों, बुराईयों, अन्ध विश्वास के निवारण में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का समय साधन से सहयोग करना एवं उनका कियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग,खाद्य–प्रसंस्करण, नारी विकास, स्वैच्छिकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक,उच्चशिक्षा, प्रावधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन आवास एवं शहरी नियोजन,गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्राद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सुचना प्रोद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण सिचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एंव पुष्टाहार, श्रम,भूतत्व एवं खनिजकर्म,खेलकूद, यूवाकल्याण, खादी एवं ग्रामोघोग, भूमिविकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास,उद्यान, पर्यावरण, लघू उद्योग, हस्तकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृत, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज़, आबकारी, ग्रामीण

राजेश चौरसिया

भारती चौरसिया

Scanned with CamScanner

[illegible] 1827 [illegible] 1824

[illegible] 25/8/15 [illegible] 500

रामविलास राय
25/8/15

रामविलास राय
[illegible] 27
[illegible], गाजीपुर
[illegible] 2015
[illegible] 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
29 JUL 2015
गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 288306

एवं पंचायती राज, बैंकिग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एंव जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, सर्तकता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसर्म्पक, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा–यमुना आदि स्वेच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियाँ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रवन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

ट्रस्ट का कार्यकाल– ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की पत्नी/पुत्र/पुत्रवधू/पुत्री कमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेगें। इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा। इसके लिए ट्रस्ट(न्यास) समिति से सदस्यों का जो भी निर्णय होगा,मान्य होगा। कई पुत्र या पुत्री होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट(न्यास) समिति के सदस्यो का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्वता– डा0 राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा एवं समाज कल्याण ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता– ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर

राजेश चौरसिया

आरती चौरसिया

Scanned with CamScanner

2699
29-7-2015
राजेश चौरसिया हेतु श्री... गाजीपुर
पी० महेन्द्र जखनिया ... गाजीपुर

ह०

29-7-2015

ओमप्रकाश राय
स्टाम्प विक्रेता ला० नं० 9
अव० 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 20
सिविल जज जूनियर डि. बहादुराबाद-गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
29 JUL 2015
गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(6)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 288207

संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की सहमति से 51,000.00 रूपये(इक्यावन हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है।

यह संस्थापक ट्रस्टी प्रथम के वंशावली पर लागू नही होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होगें एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से रू0 51,000.00 (इक्यावन हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी का ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा या संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को अंशकालिक प्रबन्धक नियुक्त किया जा सकता है जिसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा। संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी कभी भी नियुक्त प्रबन्धक को कारण बताकर हटा सकता है।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य--

मुख्यट्रस्टी /संस्थापक ट्रस्टी प्रथम--

1– संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

2–मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिए गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।

3– संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

4– किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर निर्णायक मत देना।

5– आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यन्वित करना।

6– ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यकमों का परामर्श देना एवं कार्यकमों का निर्धारण करना।

राजेश चौरसिया

भारती चौरसिया

Scanned with CamScanner

1829 1824

25/8/15 59

25/8/15

रामविलास राय

... गाजीपुर

... 2015

... 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी

29 JUL 2015

गाजीपुर

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 288208

7– ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकठ्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

8– मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का कय–विकय लीज (पट्टा) करना, किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करना।

9– मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल–अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।

10– मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग,चन्दा,आम जनता किसी भी व्यक्ति,फर्म,एसोसिएशन,किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।

11– संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति,निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

12–संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी व उसके उत्तराधिकारी पर लागू नही होगा।

13– किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

14– ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरित कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।

राजेश चौरसिया

आरती चौरसिया

Scanned with CamScanner

1830 1824

25/8/15 5

25/8/15

रामबिलास राय

[illegible] 27

[illegible] गाजीपुर

[illegible] 2015

वरिष्ठ कोषाधिकारी

29 JUL 2015

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AW 288209

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओ, कार्यकमों, कियाकलापों में निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एव पदच्युत करना।न्यास के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।

16– ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यकमों, कियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय–

1– मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।

2– बैठक बुलाना एवं सुचना देना

3– ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा–निर्देश देना।

4–नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्यट्रस्टी की अनुमति से जारी करना

5– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, बिलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

राजेश चौरसिया

आरती चौरसिया

Scanned with CamScanner

1831 1824

25/8/15

रामविलास राय
25/8/15

रामविलास राय

2015

वरिष्ठ कोषाधिकारी

29 JUL 2015

गाजीपुर

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
AW 288210
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6– ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागो से समन्वय स्थापित कर योजनाए प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यो का सम्पादन करना।

7– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी–

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग–

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1– साधारण सभा

2– प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा(गठन)– साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होगे। इसके अतिरिक्त 51,000.00 रूपये संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते है किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होगे एवं इनकी अधिकतम संख्या सात होगी तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

राजेश चौरसिया   आरती चौरसिया

Scanned with CamScanner

1832 ... 1824

25/8/15 ... 59

प्रतिलिपिकार
25/8/15

रामशिरोमणि राय
... 27
... गाजीपुर
... 2015
... 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
29 JUL 2015
गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(10)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 288211

बैठक–

1–साधारण बैठकें– ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घण्टें निर्धारित सुचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

2–विशेष बैठक–दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सुचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती देकर देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा तथा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति– बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थित होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन– साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होगे।

(अ) वार्षिक आय –व्यय बजट चेक करना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निशचित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर इनके कार्यो को करना जो समिति के हित में हो।

राजेश चौरसिया आरती चौरसिया

Scanned with CamScanner

1833 1824

25/8/15 59

रामविलास राय
25/8/15

रामविलास राय
[illegible] 27
तहसील [illegible] गाजीपुर
[illegible] 2015
[illegible] 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
29 JUL 2015
गाजीपुर

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(11)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 288212

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति—

गठन— साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें निम्न पद होगे। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते है लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा। या संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी।प्रबन्ध समिति कालातीत नही होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी प्रकार का विवाद होता है तो वह प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें—

सामान्य— सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष— विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि—साधारण स्थिति मे प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सुचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सुचना पर बुला सकता है। सुचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

राजेश चौरसिया

आरती चौरसिया

Scanned with CamScanner

1834 क्रमांक सं. 1824

दिनांक 25/8/15 मूल्य 50

रामविलास राय
25/8/15

रामविलास राय
लाइसेंस नं. 27
तहसील ... हम्मदाबाद, गाजीपुर
वैध ... 1 अप्रैल 2015
से 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
29 JUL 2015
गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 288213

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के सदस्य बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र का दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की अनुमति आवश्यक है यह प्रकिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नही होगी। नये सदस्य की स्थायी नियूक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 51,000.00 रूपये नकद या उतने की ही सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें।

1– बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।

2– ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धक करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।

3– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, निष्कासन,पदोन्नति,विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।

4– आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

राजेश चौरसिया   भारती चौरसिया

Scanned with CamScanner

क्रमांक 1836 प्रमाणक सं. 1824

दिनांक 25/8/15 कोषागार 59

रामविलास राम

... गाजीपुर

... 2015

... 31 मार्च 2020

25/8/15

वरिष्ठ कोषाधिकारी

29 JUL 2015

गाजीपुर

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(14)

AW 288215

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25– ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख–

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे– सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होगें।

26–**डा0 राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा एवं समाज कल्याण ट्रस्ट(न्यास)** के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से रू0 5000,00 (पाँच हजार रूपयें) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध हैं।

27– ट्रस्ट (न्यास के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही– ट्रस्ट (न्यास) के विघटन सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28– ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा।

29ए– हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, स्नातकोत्तर महाविद्यालय,विधि महाविद्याल, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

29बी– संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

राजेश चौरसिया

आरती चौरसिया

Scanned with CamScanner

1837 1824

25/8/15 507

रामविलास राय
25/8/15

रामविलास राय
31 मार्च 2020
2015

वरिष्ठ कोषाधिकारी
29 JUL 2015
गाजीपुर

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (15) AW 288216

29 सी– केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि। संस्था अपने उद्देश्यों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकारी/गैर सरकारी बैंकों से लेन–देन (ऋण) आदि ले सकती है।

29डी– आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

दिनांक: 26-8-2015

मसविदा कर्ता – परशुराम सिंह एडवोकेट

दस्तखत गवाह

(1) – महादेव राम S/o काशीराम नि० [illegible] पो० मरदह जि० गाजीपुर

(2) संतोष कुमार मिश्र S/o श्री हरिशंकर मिश्र सा० मुहम्मदपुर – कुसुम पो० – मरदह जिला – गाजीपुर

राजेश चौरसिया

आरती चौरसिया

क्रमांक 1838   1824

दिनांक 25/8/15   59

रामविलास राय
25/8/15

रामविलास राय
... 27
... गाजीपुर
... 2015
... 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
29 JUL 2015
गाजीपुर

आज दिनांक 26/08/15 को
बही संख्या IV जिल्द 23 के पृष्ठ 145/174
क्रमांक 68 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया

(हस्ताक्षर)
उप निबंधक